



भारत में वकिलांगता: समस्याएँ एवं समाधान

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री द्वारा अपने 'मन की बात' संबोधन में 'वकिलांग' शब्द के स्थान पर 'दवियांग' शब्द के प्रयोग के आग्रह एवं इससे जुड़े वमिर्श ने वकिलांग जनों को चर्चा के केन्द्र में ला दिया है।

वकिलांगता क्या है?

सामान्य अर्थों में वकिलांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। तकनीकी दृष्टि से वकिलांग एवं वकिलांगता व्यापक संदर्भ वाले शब्द हैं जिनकी एक से अधिक परिवर्तनशील परिभाषाएँ हैं। भारत में ऐसे व्यक्तियों को वकिलांग माना गया है जो चकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत से कम वकिलांगता का शिकार न हो।

वशिव स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

वशिव स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जहाँ वशिव की 15 प्रतिशत आबादी किसी-न-किसी रूप में वकिलांगता से पीड़ित है वहीं भारत की महज 2.21 प्रतिशत आबादी ही वकिलांगता से पीड़ित है। आँकड़ों की ये वसिंगता वकिलांगता के लिये तय मानकों में भिन्नता के कारण है।

भारत में वकिलांगता की श्रेणियाँ

- 1981 की जनगणना में 3 तरह की, 2001 में 5 तरह की और 2011 में 8 तरह की नरियोग्यताओं को वकिलांगता का आधार माना गया। दवियांग जनों के अधिकार (संशोधन) वधियक, 2016 में दवियांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसडि अटैक से पीड़ितों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नरियोग्यता की एक श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। वकिलांगता श्रेणी हेतु नरियोग्यताओं की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य 'वकिलांग जनों के लिये राष्ट्रीय नीति' एवं 'वकिलांग जन अधिनियम, 1995' के मध्य सामंजस्य बढ़ाना था।

नोट: ध्यातव्य है कि निःशिकत व्यक्त अधिकार वधियक, 2014 में दवियांगों की श्रेणियाँ 7 ही थीं।

पुनर्वास एवं आत्मनरिभरता बढ़ाने हेतु प्रयास

वकिलांग जनों का आर्थिक पुनर्वास उनके सामाजिक पुनर्वास की प्राथमिक शर्त है, जबकि वकिलांगों का चकित्सीय एवं शैक्षिक पुनर्वास उनके आर्थिक पुनर्वास का माध्यम है और उनके सशक्तीकरण के लिये अत्यन्त आवश्यक भी है।

वकिलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन का अनुच्छेद 9 राष्ट्रीय सरकारों को सूचना, परिवहन, भौतिक वातावरण, संचार प्रौद्योगिकी और विभिन्न सेवाओं तक वकिलांग व्यक्तियों की पहुँच सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपता है। इस दशा में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत वकिलांग जन सशक्तीकरण विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के तौर पर 'सुगम्य भारत अभियान' की शुरुआत की है।

वकिलांग व्यक्तियों को स्वरोज्गार के लिये रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1997 में राष्ट्रीय वकिलांग वित्त एवं विकास नगिम की स्थापना की गई थी। इसके अलावा उनके कौशल उन्नयन हेतु दीनदयाल वकिलांग पुनर्वास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वकिलांगों के सशक्तीकरण की दशा में सरकारी प्रयास

संवधान का अनुच्छेद 41 निःशिकतजनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य भी एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ विभिन्न पछिड़े एवं कमजोर तबकों के साथ-साथ वकिलांग जनों को एक सुरक्षित सम्मानित और समृद्ध जीवन सुलभ कराया जा सके।

वकिलांग जनों के कल्याण एवं विकास हेतु सरकार द्वारा किये गए कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं-

- भारतीय पुनर्वास परषिद अधनियिम, 1992
- वकिलांग जन (समान अवसर, अधकारिों का संरक्षण और पूरण भागीदारी) अधनियिम, 1995 ।
- ऑटजिम, सेरेब्रल पॉलसी, मानसकि बीमारी और बहुवकिलांगों के कल्याण के लयि राष्ट्रीय न्यास अधनियिम, 1999 ।
- मानसकि स्वास्थ अधनियिम, 1987 ।

वकिलांग जनों के पुनर्वास उपायों को मूलतः तीन वर्गों में वर्गीकृत कया जा सकता है-

- पहला- आरंभकि पहचान, परामर्श, चकितिसकीय मदद तथा उपकरण आधारति शारीरकि पुनर्वास ।
- दूसरा- व्यावसायकि शिक्षा समेत शैक्षणकि पुनर्वास ।
- तीसरा- समाज में गरमिमय जीवन जीने के लयि आर्थकि पुनर्वास ।
- सरकार वकिलांग जनों को स्तरीय, टिकाऊ तथा वैज्ञानकि तरीकों से नरिमति आधुनकि यंत्रें एवं उपकरणों की खरीद के लयि सहायता भी देती रही है । वकिलांग जन अधनियिम, 1995 के अनुच्छेद-26 के तहत वकिलांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक नःशुल्क और अनविर्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान कया गया है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/disability-in-india-problems-and-solutions>

